

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु

:- कार्यालय आदेश -:

क्रमांक: 27

दिनांक:-19.07.2023

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक सामान्य/XV/54/2020/3325 दिनांकित 30.05.2020 व माननीय जिला एवम् सत्र न्यायाधीश महोदय, चूरु के पत्र क्रमांक स्था./2020/3405 दिनांक 31.07.2020 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में बयान लेखबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिये इस कार्यालय से पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 40 दिनांक 16.09.2022 को अधिष्ठित करते हुए कॉलम संख्या 10 व 12 में संशोधन करके शेष आदेश को यथावत रखा जाता है:-

S. N.	Name of Court	Name of Link Courts (Left to Right)			
		i	ii	iii	iv
1	CJM, Churu	Ajm, Churu	JM, Churu	JM, Sardarshahar	Acjm, Sardarshahar
2	JM, Churu	Ajm, Churu	JM, Sardarshahar	Acjm, Sardarshahar	JM, Taranagar
3	Ajm, Churu	JM, Churu	JM, Sardarshahar	Acjm, Sardarshahar	JM, Taranagar
4	JM, Sardarshahar	Acjm, Sardarshahar	JM, Taranagar	Acjm, Ratangarh	JM, Sujangarh
5	Acjm, Sardarshahar	JM, Sardarshahar	JM, Taranagar	Acjm, Ratangarh	JM, Sujangarh
6	Acjm, Ratangarh	JM, Bidasar	Acjm, Sujangarh	Acjm, Sardarshahar	JM, Sardarshahar
7	JM, Sujangarh	Acjm, Sujangarh	JM, Bidasar	Acjm, Ratangarh	JM, Sardarshahar
8	Acjm, Sujangarh	JM, Sujangarh	JM, Bidasar	Acjm, Ratangarh	JM, Sardarshahar
9	JM, Bidasar	JM, Sujangarh	Acjm, Sujangarh	Acjm, Ratangarh	JM, Sardarshahar
10	Acjm, Rajgarh	JM, Rajgarh	JM, Taranagar	Acjm, Sardarshahar	Acjm, Ratangarh
11	JM, Rajgarh	Acjm, Rajgarh	JM, Taranagar	JM, Sardarshahar	Acjm, Sardarshahar
12	JM, Taranagar	Nyayadhikari, Gram Nyayalya, Rajgarh	JM, Churu	AJM, Churu	Acjm, Sardarshahar

1. साथ ही विशेष अधिनियम यथा पोक्सो एक्ट, एस.सी./एस.टी. एक्ट आदि, जिनकी सुनवाई की अधिकारिता मजिस्ट्रेट न्यायालयों को ना होकर विशेष न्यायालयों को ही है, उनके सम्बन्ध में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन पत्र उसी मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे, जिनकी अधिकारिता वाले पुलिस थानों में ऐसा मामला संस्थित हुआ है तथा उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में उपरोक्त तालिकानुसार अधिकृत न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
नोट:- यदि विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त व्यवस्था के तहत कार्य करना सम्भव न हो, तो इसके सम्बन्ध में पृथक से प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे।
2. उक्त आदेश आज दिनांक 19.07.2023 से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चूरु
19/07/23

क्रमांक:- 1048

दिनांक:- 19.07.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ/पालनार्थ:-

01. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरु को सादर प्रेषित है।
02. पुलिस अधीक्षक, चूरु को आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि अनुसंधान अधिकारीगण को अनुसंधान पत्रावली के साथ सम्बन्धित न्यायालय में गवाह की पहचान सुनिश्चित करने व गवाह के बयान की सत्यप्रति प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए थानाधिकारीगण को निर्देश प्रदान करें।
03. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सरदारशहर/राजगढ़/सुजानगढ़/रतनगढ़ तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु/सरदारशहर/तारानगर/राजगढ़/सुजानगढ़/बीदासर/अति. न्यायिक मजि. चूरु/ग्राम न्यायालय, राजगढ़ को जरिये ई-मेल।
- ✓ 04. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, चूरु को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
05. कार्यालय प्रति।
06. रक्षित पत्रावली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरु
19/07/23